न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश संख्या –5, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : भानु कुमार, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्याः – 220/2026
एफ.आई.आर. नंबरः – 20/2026 P.S. GRP अजमेर
सी.आई.एस. संख्याः – 220/2026

रामप्रताप उर्फ रामु पुत्र पुरखाराम उम्र 35 वर्ष निवासी सडू छोटी पुलिस थाना सांडवा जिला चूरू (राज.)

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर।

........अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित–

1. श्री भंवर विरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त (Through DLSA)
2. अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 07.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. का पेश किया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन पक्ष को उपलब्ध कराई जाकर उस पर उभय पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अवलोकन किया गया।

2. दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार का अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। प्रकरण के विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.2.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप हैं, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त से दिनांक 03.02.2026 को दौराने चैकिंग गांधी भवन पार्किंग एरिया में तलाशी लिए जाने पर पहने हुए पाजामा की आंट में अखबार में लपेटा हुआ धारदार चाकु बरामद होने से उसके विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध का अभियोग है। प्रकरण में बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा आरोप पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.02.26 को पेश किया जा चुका है, जिसमें अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु आरोप विरचित कर सुनाए जाने के पश्चात् मामला साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लंबित है, जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में कोई अनुसंधान एवं बरामदगी शेष नहीं रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के पांच प्रकरण क्रमशः 39/2023 पुलिस थाना सांडवा जिला चूरू अपराध धारा 13 आरपीजीओ, 303/2024 आबूरोड शहर धारा 303(2) बी.एन.एस., 120/2024 सुजानगढ सदर धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस., 106/2024 कोतवाली नागौर धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 258/2024 कोतवाली नागौर धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता चालान लंबित होने संबंधी पुलिस थाना की रिपोर्ट संलग्न है।

5. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप अंतवर्लित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.02.2026 से पुलिस /न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं रहा है, लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लंबित प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश किया गया जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त रामप्रताप उर्फ रामु की ओर से पेश किया गया जमानत पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त तीस हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका विचारण न्यायालय की सन्तुष्टिप्रद पेश कर तस्दीक करवा दे कि न्यायालय द्वारा वांछा किये जाने पर उपस्थित आयेगा, प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से पलायन नहीं करेगा, साक्षी एवं साक्षियों से किसी प्रकार की छेडछाड नहीं

करेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, तो उसको इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाता है।

7. आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

(भानु कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश सं.–5
अजमेर (राज.)

8. आदेश आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(भानु कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश सं.–5
अजमेर (राज.)

NAVEEN KUMAR SHARMA
Digitally signed by NAVEEN KUMAR SHARMA
Date: 2026.03.09 17:11:54 +0530

Authenticated Document